27/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि तहसीलदार का जवाब आ चुका है। एंव तहसीलदार ने अपने जवाब में नाम दुरुस्ती की अभिशंषा की है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावें। निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। निर्णयानुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर, चोहिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:57:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner